क्रम-संख्या—190

रजि० नं० एल डब्लू /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 अगस्त, 2005

श्रावण 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1030/सात-वि-1—1(क)-20-2005

लखनऊ, 11 अगस्त, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 4 मई, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के परन्तुक का मद (चार) निकाल दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2005

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2004) की धारा 3 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के गठन की व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में यह व्यवस्था है कि उक्त आयोग में, अन्य बातों के साथ-साथ सात सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट होंगे जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो। उक्त खण्ड (ख) के परन्तुक में यह व्यवस्था थी कि उक्त सात सदस्यों में से निम्नलिखित में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा :—

(1) अनुसूचित जातियों या जनजातियों;

(2) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों;

(3) अल्पसंख्यकों ;

(4) अधिवक्ताओं (न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव सहित)।

यह विनिश्चय किया गया कि ऊपर क्रम-सख्या (4) पर उल्लिखित अधिवक्ता सदस्य को निकाले जाने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 मई, 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1030/VII-V-1—1(Ka)-20-2005

Dated Lukcnow, August 11, 2005

IN pursuance ot the provisons of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 10, 2005.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. Act no. 19 of 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the UttarPradesh State Commission for Women Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2005

(2) It shall be deemed to have come into force on May 4, 2005

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 7 of 2004

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2004 hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (2), in the proviso to clause *(b)* item (iv) shall be *omitted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 6 of 2005

3. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2004 (U.P. Act no. 7 of 2004) provides for the constitution of the Uttar Pradesh State Commission for Women. Clause *(b)* of sub-section (2) of the said section provides that the said Commission shall *inter alia* consist of seven members nominated by the State Government from amongst the Women possessing a Degree of a University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto and who have worked for the upliftment and welfare of women. The proviso to the said clause *(b)* provided that of the said seven members one member each shall be from amongst—

(1) Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(2) Other backward classes of citizen;

(3) Minorities;

(4) Advocates(with minimum ten years experience).

It was decided to amend the said Act to *omit* the provisions of Advocate member mentioned at serial no. 4 above.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2005 (U.P. Ordinance no. 6 of 2005) was promulgated by the Governor on May 4, 2005.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 359 राजपत्र (हि०)–2005–(761)–597 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 73 सा० विधायी–(हि०)–2005–(762)–850 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।